प्रवासी कर्मचारी ? संगठित हो जाओ।


- 21 वर्ष से उपर की आयू वाले कर्मचारी का कानून न्यूनतम
 वेतन, £ 5.35 पर घण्टा है।
- आपको प्रति सप्ताह 48 घण्टे से ज्यादा काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- आप कार्यक्षेत्र में कुछ अन्तराल के लिए अभिगृत है।
- आपको छुट्टी लेने का भी अधिकार है।
- आपको सुरक्षित कार्यक्षेत्र / वातावरण में कार्य करने का
 अधिकार है।
- आपके स्वामी / प्रबन्धक के द्वारा आपके साथ किसी भी प्रकार का क्रुर, अभद्र एंव आपके बीच में भेद—भाव करना पूर्ण रूप से गैर कानूनी है।
- यह आपका कानूनी अधिकार है कि आप सम्मान के साथ कार्य करे ना कि गुलाम की तरह।
- यह आपका कानूनी अधिकार है कि आप किसी भी संगठन / यूनियन के सदस्य बने।

यूनियन आपके कर्मचारी के तोर पर उपलब्ध हितों की सुरक्षा के लिए सदैव उपस्थित है।

जब कर्मचारी यूनियन के साथ सगठित होते है तो अच्छा जीवन सभव होता है।

वाहे आप कानूनी तौर पर कार्य कर रहे हो या/अथवा गैर कानूनी तौर पर, आप IWW यूनियन के सदस्य बन सकते है।

IWW यूनियन अपने सदस्यों के आसरा के लिए सभी कुछ करेगी।





Leicester IWW
Unit 107
40 Halford Street
Leicester
LE1 1TQ



leics@iww.org.uk http://www.leicestershire-iww.org.uk



07727 688 291